प्रेषक,

श्री राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
हरिजन तथा समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

हरिजन सहायक अनुभाग दिनांक 24 मार्च 1975

विषय:- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना ।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में लगभग 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के निवासी हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय है। शासन के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है परन्तु आर्थिक उत्थान के क्षेत्र में बावजूद प्रयासों के कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। इसका मुख्य कारण इन उपेक्षित वर्गों में औद्योगिक साहस न होने, उद्योगों के हेतु पूँजी का न होना आवश्यक तकनीकी जानकारी न होना इत्यादि है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु कुटीर उद्योग कृषि विकास हेतु एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अनुदान दिये जाने की योजनायें चलाई जाती है। इन योजनाओं के अन्तर्गत बहुत ही अल्प धन-राशियाँ अनुदान के रूप में दी जाती हैं। अल्प धनराशि से कोई कारोबार अथवा कृषि कार्य सुचारू रूप से सम्पादित नहीं किया जा सकता। यह अनुभव किया जा रहा है कि हम अनुदानों, वह लाभ जो अनुदानों से अपेक्षित है वर्तमान प्रणाली के अनुसार नहीं मिल पाता है। संस्थागत वित्तीय साधनों का उपयोग यदि इन वर्गों के उत्थान हेतु पूँजी विनियोग के काम में किया जा सके तो हितकर रहेगा । और तभी इन वर्गों का आर्थिक उत्थान संभव हो सकेगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर राज्यपाल महोदय ने §"उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम§ बनाने का आदेश दिया है। इस निगम का अधिकृत अंशपूँजी रूपया पाँच लाख होगी। इस निगम को चालू वित्तीय वर्ष में कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत निबन्धन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। निगम अपने कार्यक्रमों के सम्पादन के लिए वित्तीय साधन प्रदेशीय सरकार द्वारा लगाये गये पूँजी के अलावा अन्य वित्तीय संसाधनों से ऋण पत्रों के माध्यम से एकत्रित करेगा।

2= इस निगम के कार्यक्षेत्रों की रूपरेखा निम्न प्रकार होगी:-

§1§ निगम अनुसूचित जाति के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान के लिए पूरे प्रदेश में कार्य बिना लाभ-हानि के आधार पर करेगा ।

§2§ निगम इन जातियों के व्यक्तियों का एवं संस्थाओं को चार प्रतिशत ब्याज दर पर उद्योग, व्यवसाय, कृषि विकास इत्यादि के लिए ऋण वितरित करेगा तथा अनुदान देगा ।

..2

§3§ निगम शासन की तरफ से बतौर एजेंसी के विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में अनुदान व ऋणों का वितरण कार्य करेगा। ऋण वितरण के लिए शासन से दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय चार्ज करेगा ।

§4§ निगम औद्योगिक, कृषि कार्य संबंधी इकाईयों स्थापित करेगा तथा बिना हानि-लाभ के आधार पर इन वर्गों के व्यक्तियों तथा संस्थाओं को हस्तान्तरित करेगा ।

§5§ निगम विभिन्न विभागों एवं सार्वजनिक संस्थाओं व गैर सरकारी उद्योगों से एजेंसियाँ लेगा, चलायेगा और इन वर्गों के व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तान्तरित करेगा।

3- उपर्युक्त वित्त एवं विकास निगम का मुख्यालय लखनऊ में होगा। इसके संचालन मंडल के विषय में अलग से आदेश प्रसारित किये जायेंगे ।

4- तदनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंशपूँजी के क्रय हेतु राज्यपाल महोदय रू0 2,10,000/=§दो लाख दस हजार रुपये मात्र§ की धनराशि के व्यय किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं ।

5- चूँकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में इस प्रयोजन हेतु कोई धन की व्यवस्था नहीं है और प्रश्नगत निगम की स्थापना नितान्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है अतः राज्यपाल महोदय उपरोक्त व्यय हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से रूपया 2,10,000/=§दो लाख दस हजार रूपया मात्र§ का अग्रिम आहरित किये जाने के लिए भी स्वीकृति प्रदान करते हैं जिसकी उक्त निधि में प्रतिकूल यथासमय अनुपूरक अनुदान के माध्यम से की जायेगी।

6- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष लेखाशीर्षक " 488 -सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत के अन्तर्गत नया उप शीर्षक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अंशकों का क्रय खोलकर अन्तोगत्वा उसके नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,
हस्ताक्षर
§ रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव
उप सचिव

वित्त §व्यय नियंत्रण§अनुभाग-12
ई-12/दस-राज्य-आयो-निगम/56/दस-

प्रतिलिपि महालेखाकार§।§ रिपोर्ट ब्रान्च उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

हरिजन सहायक अनुभाग
सं0 यू0आई0-104§11§/26
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-
§1§वित्त§ई-12§

आज्ञा से,
अनु सचिव
आज्ञा से,
§रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव§
उप सचिव ।